

अभ्यर्थी द्वारा (विभागीय जांच संस्थित-असंस्थित/लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू जांच आदि संबंधी)
स्व-घोषित एवं कार्यरत विभाग द्वारा अभिलेख के आधार पर अनुशंसित करने संबंधी प्रमाण पत्र

(अ) अभ्यर्थी द्वारा स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र

मैं.....पिता/पति.....को विकास आयुक्त के आदेश
क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार
अधिकारी के पद पर जनपद पंचायत.....जिला.....में पदस्थ हूँ।
वर्तमान में मेरे विरुद्ध कोई दण्ड प्रभावशील नहीं है तथा मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू जांच
आदि प्रचलित नहीं है अथवा है ।
विभागीय जांच प्रचलित होने की स्थिति में विवरण निम्नानुसार है -

.....
.....

दिनांक.....
स्थान.....
शासकीय सेवक के हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय का नाम.....
मोबाईल नम्बर.....

कार्यालय का नाम.....

न जांच प्रमाण पत्र

जावक क्रमांक...../22/...../2017 दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री/श्रीमति/कु./सुश्री.....पिता/पति.....
.....पदनाम.....को विकास आयुक्त के आदेश
क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास
विस्तार अधिकारी के पद पर जनपद पंचायत.....जिला.....में
पदस्थ है।

सेवा अभिलेख/सेवा पुस्तिका के आधार पर वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई दण्ड प्रभावशील नहीं है तथा इनके विरुद्ध
कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू जांच आदि प्रचलित नहीं है अथवा है ।
विभागीय जांच प्रचलित होने की स्थिति में विवरण निम्नानुसार है -

.....
.....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....
कार्यालय प्रमुख का नाम.....
कार्यालय प्रमुख का पदनाम.....
कार्यालय का दूरभाष क./ई-मेल